न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4231– PBR / 14 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–1–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 18–7–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से सहमत होते हुए एस.एल.आर. से प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन कराये जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तुत यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि प्रशनाधीन भूमियों पर आवेदक का कब्जा है, और अनावेदक का सीमांकन कराये जाने का उद्‌देश्य केवल प्रश्नाधीन भूमियों से आवेदक को बेदखल कराना है, क्योंकि अभी कलेक्टर के आदेश के पालन में एस.एल.आर. द्वारा सीमांकन किया जाना है, जहां आवेदक उपरोक्त आशय की आपत्ति एस.एल.आर. के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	8-1-15

प्रकार प्रस्तुत ह।

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण R 4231-PBR/14

अयोध्या प्रसाद पुत्र स्व0 श्री हरवंशलाल आयु 53 वर्ष व्यचसाय कृषि निवासी ग्राम विलौआ तेहसील डबरा जिला ग्वालियर ....आवेदक

दिनांक 19-12-14 को श्री प्रेम सिंह अभि० द्वारा प्रस्तुत।

19-12-14
SO

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री हरवंशलाल आयु 67 वर्ष निवासी गड्डा वाला मौहल्ला चन्द्रवदनी का नाका, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

...............अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 18.07.2014 पारित द्वारा श्रीमान कलैक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 448/2013-14/बी-121 व उन्वान ओमप्रकाश बनाम मध्यप्रदेश शासन